

अनुस्मारक-तृतीय

संख्या-108/36/1/76/47-का-2-2022

54667/PSM/22  
प्रेषक,VS (AKC)/का-2 डॉ० देवेश चतुर्वेदी,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।1/10/22  
सेवा में,  
(नितिन रमेश गोकर्णी) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
0-0 प्रमुख सचिव  
मकसद एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।  
उत्तर प्रदेश शासन  
कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 07 जून, 2022

विषय:- राज्याधीन सेवाओं में तैनात समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय  
SIB/USCA/22 प्रविष्टियों की ऑनलाइन व्यवस्था के संबंध में।  
US(A) महोदय,उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2 के पत्र संख्या-96/36/1/76/47-का-2-2022, दिनांक  
27 मई, 2022, संख्या-88/36/1/76/47-का-2-2022 दिनांक 13 मई, 2022 एवं पत्र संख्या-  
36/1/76/47-का-2-2022 दिनांक 02 मई, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा  
306-22 राज्याधीन सेवाओं में तैनात समूह 'क' एवं 'ख' के समस्त अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय  
( डा० अरवि प्रविष्टियों को सिया )  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के संदर्भ निम्नवत 02 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की  
उत्तराखण्ड शासन, जो अभी तक अप्राप्त है:-

- (1) विभाग में राज्याधीन सेवाओं में तैनात समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के संदर्भ में ऑन-लाइन की व्यवस्था लागू है या नहीं?
- (2) विभाग में राज्याधीन सेवाओं में तैनात समूह 'क' एवं 'ख' के तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की संख्या कितनी है?

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर सूचना 03 दिन में कार्मिक अनुभाग-2 उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10-5/2022/5.7

भवदीय,

(डॉ० देवेश चतुर्वेदी)  
अपर मुख्य सचिव।

14.6.22

संख्या- 1093/आठ-6-2022

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,  
अनु सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,

नगर भूमि सीमारोपण,  
उ०प्र० लखनऊ।

2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,

नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग,  
उ०प्र०, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : जून, 2022

विषय- राज्याधीन सेवाओं में तैनात समूह-‘क’ एवं ‘ख’ के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों की ऑनलाइन व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-02 के पत्र संख्या-108/36/1/76/47-का-2-2022

दिनांक 07.06.2022(छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कार्मिक विभाग के उक्त पत्र द्वारा वांछित सूचना शासन को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)  
अनु सचिव।

I/183983/2022(1)

संख्या- 1093/आठ-6-2022

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,  
अनु सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,

नगर भूमि सीमारोपण,  
उ०प्र० लखनऊ।

2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,

नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग,  
उ०प्र०, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : जून, 2022

विषय- राज्याधीन सेवाओं में तैनात समूह-‘क’ एवं ‘ख’ के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों की ऑनलाइन व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-02 के पत्र संख्या-108/36/1/76/47-का-2-2022

दिनांक 07.06.2022(छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कार्मिक विभाग के उक्त पत्र द्वारा वांछित सूचना शासन को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)  
अनु सचिव।

संख्या-296/47-का-2-2023-36/1/76

प्रेषक,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।  
2-समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।  
3-समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक १२ अगस्त, 2023

विषय:- समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-02/2023/181/47-का-2-2023-36/1/76, दिनांक 12 जून, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में आलोच्य वर्ष 2022-2023 की वार्षिक प्रविष्टियाँ ऑनलाइन लिखे जाने हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रस्तावित टाइम लाइन निर्धारित की गयी है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में विशेष सचिवों के अनुपालन में निम्नांकित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

- (1)- अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मानव सम्पदा पोर्टल की आई-डी तथा पासवर्ड एक सप्ताह के अन्दर आवंटित कराना सुनिश्चित कराये।
- (2)- मानव सम्पदा पोर्टल के APAR MODULE पर वार्षिक प्रविष्टियों के अंकन के संबंध में यथावश्यकता NIC के सहयोग से कार्यशालाएं आयोजित कर सभी संबंधित को प्रशिक्षित कराये।

श्री पुरन  
28/8/23

8/11/23/ACS/13

V S (S)

24/8/23

3624/US/36/1/76  
U.S.(M)

24-8-23

(सुनील कुमार सिंह)  
विशेष सचिव  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग  
उ०प्र० शासन


S.O. 6/5  
eie  
25.8.2023

(3)- सभी संबंधित अधिकारियों की Work-Flow (वार्षिक प्रविष्टियों अंकित करने हेतु संक्षिप्त विवरण मानव सम्पदा पोर्टल के APAR MODULE के निर्धारित प्रपत्र पर तत्काल जनरेट कराये।

(4)- अपने अधीनस्थ कार्मिकों को निर्देशित करे कि वे अपनी स्वमूल्यांकन आख्या प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर, 2023 तक APAR MODULE पर उपलब्ध करा दें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से 15 दिन के अन्दर कार्मिक अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



( डा0 देवेश चतुर्वेदी )


अपर मुख्य सचिव

संख्या-296(1)/47-का-2-2023-36/1/76 तददिनांक।

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
3. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
5. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



( निर्मेष कुमार शुक्ल )

अनु सचिव।

संख्या-02/2023/181/47-का-2-2023-36/1/76

प्रेषक,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

**कार्मिक अनुभाग-2**

लखनऊ: दिनांक 12 जून, 2023

विषय:- समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में कार्यरत समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2022-23 से वार्षिक प्रविष्टि (ACR) मानव सम्पदा पोर्टल यू०आर०एल० ehrrms.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने का निर्णय निम्नवत लिया गया है:-

- (1) आलोच्य वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रविष्टियाँ Online लिखे जाने हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रस्तावित Time line निम्नवत निर्धारित होगी:-
  - (I) Work flow दिनांक 30 जून तक जनरेट कर दिया जाए।
  - (II) स्वमूल्यांकन आख्या दिनांक 31 अगस्त तक उपलब्ध कराएंगे।
  - (III) प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी क्रमशः 31 अक्टूबर, 30 नवम्बर तथा 31 दिसंबर तक अपना-अपना मन्तव्य अंकित करेंगे।
  - (IV) वार्षिक प्रविष्टियों का Disclosure दिनांक 31 दिसम्बर तक रहेगा।
  - (V) वार्षिक प्रविष्टियों के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

तिथि 15 फरवरी तक रहेगी।

(VI) वार्षिक प्रवृष्टियों के विरुद्ध प्रत्यावेदन निस्तारित करने की तिथि 31 मार्च तक होगी।

- (2) संबंधित अधिकारियों के Signature हेतु e sign / Digital Signature तथा Mobile से OTP आधारित व्यवस्था अपनाई जायेगी
- (3) 2022-23 के लिए प्रविष्टियों को Auto Forward किए जाने की व्यवस्था नहीं होगी, किन्तु दिनांक 31 दिसम्बर के बाद स्वमूल्यांकन आख्या तथा प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकन की व्यवस्था Closed हो जाएगी। वर्ष 2023-24 से प्रविष्टियों के अंकन में Auto Forward की व्यवस्था स्वतः लागू हो जाएगी।
- (4) वर्ष 2022-23 की प्रविष्टियों के आनलाइन अंकन हेतु मानव सम्पदा पोर्टल दिनांक 01 जून, 2023 से Operational हो जाएगा अतः समस्त विभाग आवश्यक तैयारियां 01 जून, 2023 से पहले पूर्ण कराना सुनिश्चित कराये।
- (5) पोर्टल पर प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी के सहायतार्थ पृथक-पृथक DROP DOWN MENU में DOs तथा DO NOT की व्यवस्था एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
- (6) प्रविष्टियों के आनलाइन अंकन हेतु मानव सम्पदा पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप अंग्रेजी के साथ-साथ एन0आई0सी0 द्वारा हिन्दी भाषा में भी उपलब्ध होगा।
- (7) यदि किसी विभाग में समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की प्रविष्टि ऑनलाइन दाखिल किये जाने की व्यवस्था पूर्व से लागू है, तो उनकी उक्त व्यवस्था यथावत रहेगी।

2- यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा।

भवदीय,  
डॉ० देवेश चतुर्वेदी  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-02(1)/2023/181/47-का-2-2023-36/1/76, तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 2-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
- 3-निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
- 4-निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
- 5-प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 6-रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 7-सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 8-सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 9-सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
- 10-निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 11-वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 12-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 13-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
निर्मेष कुमार शुक्ल  
अनु सचिव।



संख्या- 1879/आठ-6-2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1	आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उ०प्र० लखनऊ।	2	निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ०प्र० लखनऊ।	3	उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, समस्त विकास/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
4	नियत प्राधिकारी/ जिलाधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उ०प्र०।	5	सचिव, रेरा, उ०प्र०।	6	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली।
7	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मेट्रो रेल कारपोरेशन, लखनऊ।	8	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० लखनऊ।	9	निदेशक, आवास बन्धु।
10	सदस्य सचिव स्मारकों, संग्रहालयों, सस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ।				

## आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: अगस्त,2023

विषय:- समूह-'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर  
ऑनलाइन दाखिल किये जाने के संबंध में के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2 के पत्र संख्या-296/47-का-2-2023-36/  
1/76 दिनांक 22.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कार्मिक  
अनुभाग-02 द्वारा समूह-'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल  
पर ऑनलाइन दाखिल किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-02/2023/181/47-का-  
2-2023-36/1/76, दिनांक 12.06.2023 का संदर्भ ग्रहण कराते हुए उक्त शासनादेश में दिए गए  
निर्देशों के अनुपालन में निम्नांकित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं:-

- (1) अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मानव सम्पदा पोर्टल की आई-डी तथा पासवर्ड एक  
सप्ताह के अन्दर आवंटित कराना सुनिश्चित कराये।
- (2) मानव सम्पदा पोर्टल के APAR MODULE पर वार्षिक प्रविष्टियों के अंकन के संबंध में  
यथावश्यकता NIC के सहयोग से कार्यशालाएं आयोजित कर सभी संबंधित को प्रशिक्षित  
कराये।
- (3) सभी संबंधित अधिकारियों की Work-Flow (वार्षिक प्रविष्टियों अंकित करने हेतु संक्षिप्त  
विवरण मानव सम्पदा पोर्टल के APAR MODULE के निर्धारित प्रपत्र पर तत्काल जनरेट  
कराये।

(4) अपने अधीनस्थ कार्मिकों को निर्देशित करें कि वे अपनी स्वमूल्यांकन आख्या प्रत्येक दशा में दिनांक 30 सितम्बर,2023 तक APAR MODULE पर उपलब्ध करा दें।

2- इस सम्बन्ध में उपरोक्त पत्र की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना/विवरण निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखलऊ को समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2,4,5,7 एवं 10 को उक्त पत्र दिनांक 22.08.2023 की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों को उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. कार्मिक अनुभाग-02 को उनके पत्र दिनांक 22.08.2023 के क्रम में।
3. निदेशक, आवास बन्धु को उक्त पत्र दिनांक 22.08.2023 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र द्वारा की गई अपेक्षानुसार अभिकरणों से सूचना/विवरण प्राप्त करते हुए समेकित सूचना शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव।